1866

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

"चयन भवन", चिनार पार्क (ईस्ट) मेन रोड़ नं. 1, भोपाल–462011

क्र. म.प्र. व्यापम / 6297 /2013 भोपाल, दिनॉक : 9 / 10 / 2013

// आदेश //

मण्डल द्वारा दिनांक 07.07.2013 को आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा 2013 के उपलब्ध व्यवस्थित डेटा के लॉजिक के संबंध में कम्प्यूटर विषय–विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान की गई मिसमैच रिपोर्ट तथा एस.टी.एफ. से प्राप्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में पी.एम.टी. 2013 की समग्र गहन छानबीन एवं निष्कर्ष हेतु एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई ।

समिति द्वारा संबंधित नस्तियों, अभिलेखों एवं नियमों का परीक्षण करने के उपरान्त अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । इस प्रतिवेदन में समिति ने रोल नंबर में हेराफेरी, रोल नंबर का अभ्यर्थियों को अनुचित रूप से आवंटन, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के निरस्त आवेदनों के आधार पर रोल नंबर जारी किया जाना पाया गया एवं मण्डल द्वारा बनाये गये परीक्षा नियमों का भी उल्लंघन होने का भी उल्लेख किया गया है।

समिति ने पी.एम.टी. परीक्षा 2013 के आयोजन की नियम पुस्तिका के अध्याय–4, निर्देश एवं प्रीक्षा संचालन नियम के 'महत्वपूर्ण' दिशा–निर्देश का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार –

"ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।"

इसी प्रकार नियम के बिन्दु क्र. 4.12 के अन्तर्गत परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना, परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना, अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना, अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न पुस्तिका की अदला–बदली करने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों पर समिति द्वारा परीक्षण, विश्लेषण एवं समग्र विचार उपरान्त पाया गया कि एस.टी.एफ., भोपाल एवं क्राईम ब्रांच, इंदौर द्वारा मण्डल को उपलब्ध करवाई गई अभ्यर्थियों की सूची एवं तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुशंसाओं अनुसार 345 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि दोनों सूचियों में उपलब्ध हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह अभ्यर्थी रोल नंबर परिवर्तित करवाने संबंधी षड़यंत्र में शामिल हैं, इनके द्वारा इस प्रकरण के आरोपियों से सम्पर्क किया गया है तथा अभ्यर्थियों के रोल नंबर जनरेशन उपरान्त परिवर्तित किये गये है । इस प्रकार 345 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने की पुष्टि की गई है ।

.....2..

1867

प्रतिवेदन में उल्लेखित रोल नंबर के लॉजिक संबंधी प्रतिवेदन, पुलिस के द्वारा प्राप्त दस्तावेज, समिति का प्रतिवेदन एवं मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 876 अभ्यर्थियों के रोल नंबर बिना किसी कारण अनुचित ढंग से परिवर्तित कर दिये गये हैं, जिनमें से 345 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि समिति द्वारा की गई है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन 345 रोल नंबरों में एक पैटर्न उभरकर आता है जिसमें मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी को अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी के साथ सुनियोजित ढंग से क्रम में रोल नंबर आवंटित किया गया है। किसी भी रेण्डम प्रक्रिया के पालन करने से ऐसा पैटर्न उभरना संभव नहीं है।

समिति के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त यह समाधान हो गया है कि 345 अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से रोल नंबर आवंटित कर परीक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए लाभ पहुंचाया गया है। अतः इन 345 अभ्यर्थियों **(परिशिष्ट–1)** की अभ्यर्थितता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार परिशिष्ट–1

संचालक
म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल

पृ.क्र. म.प्र. व्यापम /6298 /2013 भोपाल, दिनॉक : 9 /10/2013

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश एस.टी.एफ., जहॉंगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल